

राजस्थान सरकार
चिकित्सा स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :प.8(22)चिस्वा/2/14/पार्ट-2

जयपुर, दिनांक : 13-11-17

-:संशोधित आदेश:-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.10.2017 में "कनिष्ठ विशेषज्ञ के स्थान पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी तथा वरिष्ठ विशेषज्ञ के स्थान पर उप निदेशक एवं समकक्ष पदों" शुद्धि कर पढा जावें।

आज्ञा से,

(पी.सी. जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. सचिव, राज. लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर/प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.सी.एल., जयपुर।
6. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
7. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/प्रधानाचार्य, आर.एफ.पी.टी.सी।
8. संबंधित अधिकारी
9. कम्प्यूटर सैल/रक्षित पत्रावली
10. प्रभारी सर्वर रूप, निदेशालय, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाईड पर उपलोड करावेवें।

(एम.एल. वर्मा)
सहायक शासन सचिव

d.